Appendix-

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक/ 27 /उदयपुर/ 2000-1

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एवं मैनेजमेन्ट संस्थान, उदयपुर जिला - उदयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम संख्या २८,१९५८) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 30 माह मई सन् दो हजार (2000) को उदयपुर में दिया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
उदयपुर

NOTARY UDAIPUR (RAJ.) GOVT. OF RAJASTHAN

TRUE COPY

(Smt SAROJ SHARMA)
ADVOCATE / NOTARY
Reg. No. 302/98

REGISTRAR
Sai Tirupati University
Udaipur (Raj.)

संशोधित विधान एवं नियमावली

1. नाम : ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एवं मैनेजमेन्ट संस्थान

2. पंजीकृत कार्यालय : 4, फतेहपुरा, उदयपुर – 313 001

3. कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण राजस्थान राज्य क्षेत्र होगा।

4. उद्धेश्य : निम्नलिखित है –

1. जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के विकास मे योगदान देना।
2. नारी एवं बाल विकास से जुड़े पक्षों पर समाज में जागृति पैदा करना।
3. निः स्वार्थ भाव से प्रबंध एवं तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिये हो रहे राजकीय प्रयासो में सहयोग करना तथा इस हतू स्वयं की प्रणाली भी विकसित करना।
4. विभिन्न प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान कार्यो द्वारा आपसी सामन्जय से सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति का विकास करना।
5. जड़ी बुटीयों के उत्पादन एवं अनुसंधान में जानकारी प्रदान करना, पारम्परीक चिकित्सा पद्धति से इलाज व प्रचार प्रसार करना।
6. एड्स के बारे में जन जाग्रती पैदा करना एवं इसके बचाव के लिये प्रयास करना।
7. जनसंख्या के विभिन्न पहलुओ पर अनुसंधान करना एवं 'सबको स्वास्थ्य' एवं 'परिवार नियोजन' के लक्ष्य को पाने के लिए युवाओ को जागृत एवं प्रशिक्षित करना तथा स्वरोजगार द्वारा स्वालम्बी बनाना।
8. नशा–मुक्ति अभियान चलाना।
9. किसी भी प्रकार के विश्वविद्यालय मेडीकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, नर्सिग स्कूल की स्थापना और कोई भी कॉलेज़ किसी भी नाम से जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खोज संस्थान जो शिक्षा एवं अनुसंधान की उन्नती एवं प्रचार के लिये हो, को निर्मित करने, चलाने और देखरेख करेगी।
10. किसी भी चालु अस्पताल, क्लिनिक, डिस्पेन्सरी, मेटरनिटी हॉम, रेस्ट हाउस, स्वास्थ्य विभाग, बाल संप्रेक्षण और पारिवारिक कल्याण एवं पारिवारिक परामर्श केन्द्रो को चलाना, देखना, ध्यान रखना, एवं उनका प्रबन्ध करने का कार्य करेगी।
11. उन सभी विद्यालय को जो मेडिकल, वाणिज्यिक कला, विज्ञान, कानुन, सूचना यांत्रिकी, कम्प्युटर सोफ्ट वेयर व हार्ड वेयर, इंजिनियरिंग, एवीयेशन, और मराईन इंजिनियरिंग एवं अन्य कोई भी क्षैत्र जो कि समाज के हित के लिए हो को निर्मित करना, और चलाने का कार्य करेगी।

REGISTRAR
Sai Tirupati University
Udaipur (Raj.)

12. किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय के आम आदमी के फायदे लिये हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिस्पेन्सरी, कॉलेज, स्कूल, घरों, धर्मशालाओं, चिकित्सकीय सुविधा संस्थान लेबोरेट्री के निर्माण, संचालन उपलब्ध कराने, खरीदने, ध्यान रखने कार्य करेगी।

13. अन्य किसी भी संस्थान, न्यास, कम्पनी और संगठन जो कि उक्त न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति करते हो, जैसे शिक्षण संस्थाएं सम्मलित करते हुये मेडिकल कॉलेज, खोज संस्थान के द्वारा शिक्षा एवं प्रचार के उद्भव, देखरेख, और चलाने के लिये सहायत्ता देना। उनको सहयोग व उनके साथ जुड़ना।

14. विकलांग या अक्षम व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य लाभ संस्थानो को स्थापित करना।

15. शोध प्रयोगशालाएं एवं प्रायोगिक कार्यशालाओं को वैज्ञानिक एवं तकनिकी शोध के लिये स्थापित करना, और उन सभी वैज्ञानिक एवं तकनिकी शिक्षा व शोध को बढावा देना और उन सभी अनुसंधानों एवं खोजो को लेबोरेट्रिज कार्यशालाओं पुस्तकालयों, व्याख्यानों, सभाओं के आयोजनो से शिक्षा, खोज, अनुसंधानाओं परीक्षणों और किसी भी प्रकार के चिकित्सा के क्षैत्र में सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये।

16. उन सभी गरीब व्यक्तियों को उनके बिमारी के समय में आर्थिक मद प्रदान करना या मुफ्त चिकित्सा सुविधा को गरीब व्यक्तियों को उपलब्ध करवाना।

17. राज्य/केन्द्र सरकार, अर्द्धसरकारी संस्था, आमजन संस्थाएं, बैंक , वित्तिय संस्थाएं, परिषद, सरकारी एवं निजी संस्थाएं, व्यक्तिगत, न्यास, फर्म कम्पनी, कारपॉरेशन, सहकारी सस्थाएं, संस्थाएं,लोगो के समुह राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाए, विदेशी सरकार, विदेशी चिकित्सा संस्थाएं, विदेशी न्यास जो भारत में है और जो भारत से बाहर है, उनसे दान, सहयोग, चन्दा, संकल्प दान, सहयोग राशि, अन्य सहयोग, नकद में या किसी अन्य रूप में प्राप्त करना, ऋण प्राप्त करना, ऋण प्राप्त करने के लिये गारंटी प्राप्त करना, संस्था की सम्पति रहन रखना ।

18. संस्था द्वारा किसी भी ट्रस्ट तथा सोसाइटी या संस्था के पक्ष में किसी भी प्रकार के ऋण के संदर्भ में गारंटी देना, सम्पति रहन रखना इत्यादी।

19. समय--समय पर न्यास के धन को उन सभी गरीब व्यक्तियों, बिमार या जरूरतमंद लोगो को उनकी जाति धर्म या राष्ट्रीयता के भेदभाव को ध्यान में नहीं रखते हुए सहयोग प्रदान किया जायेगा एवं उपर उठाया जायेगा।

20. किसी भी संस्थान से जिसके उद्धेश्य इस न्यास के जैसे हो, का सदस्य बन सकेंगे एवं जुड़ सकेंगे।

21. किसी भी संस्था, सोसाइटी तथा ट्रस्ट या व्यक्ति विशेष को दान देना या लेना।

22. व्यस्क शिक्षा की स्कीम को जारी करने, लागू करने, बढ़ावा देने कायम रखने एवं आर्थिक प्रबंध की कार्यवाही करते हुए विशेष ध्यान शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत व अनपढ़ व अशिक्षित व्यवस्क आदमी व महिला को शिक्षा उपलब्ध कराना।

Registrar

REGISTRAR
Sai Tirupati University
Udaipur (Raj.)

23. ऐसे किसी संस्थान को जो गरीबो को सहायता उपलबध कराने के लिये या अन्य किसी सामान्य जनोपयोगी सेवा के उद्धश्य से कार्यरत् हो, को सुविधा देना, आर्थिक मदद करना, सहयोग करना, स्थापित करना और देखरेख करना।

24. राष्ट्रीय सुरक्षा निधि, प्रधानमंत्री अनुतोष निधि, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री सहायता कोश या अन्य कोई संवैधानिक निधि या बाढ़, भुकम्प से पीड़ित लोगो को सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं को दान देना।

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु सम्मेलनों, संगोष्ठियों, शिविरों, कार्यशालाओं, समारोहों आदि का आयोजन करना, तद्‌विषयक अनुसधानों को प्रकाशित करना, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संगठनों, समाजसेवी संस्थानों, सहयोगियों से सहायता और सहयोग प्राप्त करना।

उपरोक्त उद्धेश्यो में कोई लाभ निहित नहीं है।

5. सदस्यता : निम्नसिलखित योग्यता व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे –

1. संस्थान के उद्धेश्यो मे रूचि एवं आस्था रखते हो।
2. बालिक हो।
3. पागल अथवा दीवालिया न हो।
4. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।
5. संस्था के कार्यक्षैत्र में निवास करते हो।

6. सदस्यों का वर्गीकरण : इस संस्थान में निम्नांकित तीन प्रकार के सदस्य होंगे–

1. साधारण सदस्य
2. आजीवन सदस्य
3. सम्मानीय सदस्य

7. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क : उपनियम संख्या 4 मे अंकित सदस्यो द्वारा निम्न प्रकार से शुल्क देय होगा –

1. साधारण सदस्य – 11000/– वार्षिक
2. आजीवन सदस्य – 51000/– आजन्म

आजीवन सदस्य अपना सदस्यता शुल्क एकमुश्त अथवा दो किश्तों में, वर्ष भर में जमा करा सकेंगे। दोनो का सदस्यता शुल्क संस्था के ध्रुव फंड में जमा होगा। इसकी ब्याज राशि संस्था कार्यो पर खर्च की जा सकेगी। सम्मानीय सदस्यों की निगुक्ति पॉच वष्र के लिये की जावेगी। इनसे कोई सदस्यता शुल्क नहीं लिया जायेगा। इन्हें मत देने का अधिकार भी नही रहेगा।

8. सदस्यता का निष्कासन : संस्था सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार से किया जा सकेगा –

1. मृत्यु होने पर
2. त्यागपत्र देने पर
3. संस्था के उद्धेश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4. कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

REGISTRAR
Sai Tirupati University
Udaipur (Raj.)

5. दीवालिया अथवा पागल घोषित होने पर
6. सदस्यता अवधि समाप्त होने व पुनः नवीनीकरण न कराने पर इसके लिये कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्णय अंतिम एवं बहुमत से होना आवश्यक होगा।

09 साधारण सभा : संस्था के उपनियम 5 मे वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर कार्यकारिणी का निर्माण करेंगे।

10. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य

साधारण सभा के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे –
1. कार्यकारिणी का चुनाव कराना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. कार्यकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा एवं पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

11. साधारण सभा की बैठके :

1. साधारण सभा की वर्ष में 01 बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता होने पर विशेषतः अध्यक्ष/ सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगीं
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/2 होगा।
3. बैठक की सूचना 15 दिवस पूर्व व अति आवश्यक बैठक की सूचना 07 दिवस पूर्व दी जावेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। पुनः 07 दिवस पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।
5. संस्था के 2/3 अथवा 09 सदस्य, इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा 01 माह के अंदर–अंदर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/ सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाये जाने पर उक्त 11 सदस्यों में से कोई भी 03 सदस्य नाटिस जारी कर सकेंगे तमथ्था इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

Registrar

REGISTRAR
Sai Tirupati University
Udaipur (Raj.)

12. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जावेगा। जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे –

1. अध्यक्ष – 01	2. उपाध्यक्ष – 01
3. सचिव – 01	4. संयुक्त सचिव – 01
5. कोषाध्यक्ष – 01	6. सदस्य – 06

इस प्रकार कार्यकारिणी में पदाधिकारियों एवं सदस्यों की कुल संख्या 11 होगी।

13. कार्यकारिणी का निर्वाचन :

1. संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव 02 वर्ष की अवधि के लिये साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगां
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जावेगी।

14. कार्यकारिणी के अधिकार: एवं कर्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे –

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयो को कियान्वित करनां
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

15. कार्यकारिणी की बैठकें :

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 04 बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम कार्यकारिणी कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन उसी स्थान, समय पर आयोजित हो सकेगीं ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय बिन्दु वहीं होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की पुष्अि आगामी साधारण सभा में कराना आवश्यक होगा।

REGISTRAR
Sai Tirupati University
Udaipur (Raj.)

16. कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकारी व कर्तव्य निम्नलिखित होगे–

1. संस्थापक अध्यक्ष :–

- साधारण सभी एवं कार्यकारिणी की साधारणतः सीाी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा गत कार्यवाही को स्वीकृत करना।
- संस्था की सभी प्रवृत्तियों को संरक्षण प्रदान करना तथा किसी विवाद के उपस्थित होने पर निष्पक्षतापूर्वक उसे सुलझाना।
- कार्यकारिणी के लिए साधारण सभी द्वारा चुने हुए 10 सदस्य में से पदाधिकारियों को मनोनीत करना।
- संस्था के बजट के उपरान्त संस्थान के लिए 5000/– रू0 तक का आकस्मिक व्यय करना।
- संस्था हित की दृष्टि से सममाननीय सदस्यों, तथा संरक्षकों का सहवरण कर कार्यकारिणी से मान्य करवाना।

2. उपाध्यक्ष –

- अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के कार्यो में सहयोग देना।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था की अध्यक्षता करना एवं अध्यक्ष के सभी अधिकारों का आवश्यकतानुसार उपयोग करना।

3. सचिव –

- साधारण सभी की बैठकें बुलाने की व्यवस्था करना। उनमें संस्था के बजट एवं प्रगति विवरण को प्रस्तुत करना।
- संस्था के ध्रुवुण्ड को विकसित करने हेतु आर्थिक अनुदान प्राप्त करने का प्रयत्न करना तथा साधारण सभी के सदस्य बनाने में सहयोग देना।
- कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के कार्यो की देखभाल करना तथा संस्था के संचालन हेतु दिशा – निर्देश देना। विशेष परिस्थितियों में बजट के उपरान्त 2000/– रू0 तक का व्यय कर सकना।
- संस्था के स्टॉफ की नियुक्ति आदि की व्यवस्था करना।
- कार्यकारिणी के परामर्श से आवश्यकतानुसार उपसमितियों का गठन करना।
- संस्था की सभी बैठकों की व्यवस्था करना उनके विवरण सुरक्षित रखना तथा गत बैठकों की कार्यवाही पढ़कर सुनाना और स्वीकृत करना।
- संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना या कराना। कार्यालय की व्यस्था के लिये उसके प्रभारी को निर्देश एवं सहयोग देना। स्टॉफ की निगरानी रखना।

Registrar
Sai Tirupati University

REGISTRAR
Sai Tirupati University
Udaipur (Raj.)

- संस्था के सदस्यों का पूरा विवरण व्यवस्थित रखना तथा सभी चुनावों को सम्पन्न कराना और तदनुसार चुनाव कराना
- संस्था संबंधि अदालती एवं राजकीय कार्यो को निपटाना।
- कार्यकारिणी द्वारा निर्दिश्र कार्यो को सम्पन्न कराने की व्यवस्था करना।

4. संयुक्त सचिव :--

- सचिव की अनुपस्थिति में उसके द्वारा प्रदत्त कार्यो को सम्पन्न करना / करवाना।

17. संस्था विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

18. संस्था का विघटन यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संसाा की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्धेश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगा।

19. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण रजिस्ट्रार सस्थाओं को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संशोधित विधान (नियमावली) ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एवं मैनजमेंट ~~संसीन~~, संस्थान उदयपुर की सही व सच्ची प्रतिलिपि है ।

अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव
(श्री भोलाराम अग्रवाल)	(श्री राहुल अग्रवाल)	(श्री आशीष अग्रवाल)

Registrar
Sai Tirupati University

REGISTRAR
Sai Tirupati University
Udaipur (Raj.)